संख्या–पी–122 / 14–2–2016–800(81) / 2016

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 10 अगस्त 2016

विषयः– बिजनौर में नहटौर–नूरपुर –जोया–अमरोहा मार्ग किमी0 26.400 की दायी पटरी पर ग्राम आजमगढ़ उर्फ रतनगढ़ के खसरा संख्या–147 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0751 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं0 2070 / विजनौर / 15797 / यूपी / 162 / 2015, दिनांक 27 मई, 2016 एवं 139 / 11सी–बिजनौर, दिनांक 25–7–2016 का संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र सं0–11–268 / 2014 / एफसी, दिनांक 11–7–2014 के बिन्दु (i) से (vii) का अनुपालन किया गया है। कृपया एतद्विषयक सूचना शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव